

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 13.11.2024

थाना भुता जनपद बरेली।

थाना भुता बरेली पुलिस द्वारा थाना भुता पर पंजीकृत पुष्पेन्द्र की हत्या के अभियोग के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

आवेदिका संगीता गंगवार द्वारा थाना भुता पर तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 5.11.2024 को अपने पति पुष्पेन्द्र पाल उर्फ पुष्पाल के साथ मोटरसाईकिल से समय करीब 4.00 बजे शाम अपने गाँव खरदाह से बरेली को आ रहे थे, तभी रास्ते में दौलतपुर पेट्रोल पम्प पर पहले से घात लगाये बैठे कुछ लोगों द्वारा अपराधिक षडयंत्र के तहत मेरे पति पर नाजायज तमंचो से जान से मारने की नीयत से ताबतोड़ कई फायर किये, जिससे मेरे पति बुरी तरीके से घायल हो गये और वही गिर गये जिससे वादिनी के पति की मृत्यु हो गयी थी। इस संबंध में थाना भुता बरेली पर मु0अ0सं0 447/2024 धारा 191 (2)/191 (3)/190/103(1)/61(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उच्चाधिकारियों द्वारा घटना के अनावरण हेतु पांच पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 13.11.2024 को मु0अ0सं0 447/2024 धारा 191 (2)/191(3)/190/103(1)/61(2) /351 (3) बीएनएस के नामित अभियुक्त ब्रजेश कुमार उर्फ बिरजू पुत्र लालताप्रसाद निवासी कस्बा व थाना भुता जिला बरेली को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी। इस सम्बन्ध में अन्य वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है।



पूछताछ- गिरफ्तारी के उपरान्त अभियुक्त ब्रजेश कुमार उर्फ बिरजू उपरोक्त से गहनता से पूछताछ की गयी तो इसने बताया कि पूरन, पवन, अर्जुन ने मृतक पुष्पेन्द्र के छोटे भाई विनोद की हत्या दिन दहाड़े कर दी थी। उस मुकदमें का वादी पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पाल था जो अदालत में काफी पैरवी कर रहा था और इनके खिलाफ गवाही दे रहा था। इन लोगों को सजा होने का डर था। इस बात की चर्चा आपस में करते थे और पुष्पेन्द्र को रास्ते से हटाने की योजना बनाते थे। कई बार पहले भी पुष्पेन्द्र को घेरकर धमकी भी दे चुके थे। इस कारण पुष्पेन्द्र गांव छोड़कर परिवार के साथ बरेली शहर में रहने लगा था और कभी कभार गांव आता था। इसीलिये एक माह पूर्व पूरनलाल के घर पर पूरनलाल व अर्जुन, सिपन व विपिन और गौरव व गंगेश पुत्र दामोदरदास निवासीगण ग्राम खरदाह थाना भुता जिला बरेली तथा देवेन्द्र पुत्र डोरीलाल निवासी मोहम्मदपुर भजा थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत तथा पूर्व प्रधान संतोष पुत्र गोकिल प्रसाद निवासी चंदपुर थाना क्योलड़िया जनपद बरेली व अवधेश पुत्र नत्थूलाल व रविन्द्र पुत्र दयाशंकर निवासी ग्राम परेवा चुरा थाना बिलसण्डा जिला पीलीभीत के साथ मीटिंग हुयी थी। मीटिंग में मैं भी मौजूद था। मीटिंग में सजा व गवाही से बचने के लिये हम लोगों द्वारा पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पाल की हत्या की योजना बनाई गयी थी और सभी को जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। इस योजना के बाद ही पूरनलाल योजनाबद्ध तरीके से आत्मसमर्पण कर जेल चले गये थे। हम सबको यह जानकारी थी कि पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पाल मोटरसाईकिल से कभी कभार गांव में अपनी जमीन की देखभाल करने आता था। पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पाल की हत्या वाले दिन पूर्व में बनायी गयी योजना के अनुसार गंगेश पुत्र दामोदरदास व अवधेश पुत्र नत्थूलाल निवासीगण ग्राम खरदाह थाना भुता जिला बरेली व रविन्द्र पुत्र दयाशंकर निवासी ग्राम परेवा चुरा थाना बिलसण्डा जिला पीलीभीत बरेली जेल में पूरनलाल व पवन से मिलने गये थे। लेकिन पूरनलाल से इन लोगों की मुलाकात नहीं हो पायी थी। और ये लोग पवन से मिले थे और बताया था कि आज पुष्पेन्द्र गांव आ रहा है इस पर पवन ने इन लोगों से कहा था कि आज ही तुम सब मिलकर पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पाल को मार दो नहीं तो हम जेल में रह जायेंगे। इसके बाद 01 माह पूर्व पूरनलाल के घर पर बनी योजना को अन्तिम रूप देकर दिनांक 05.11.2024 को योजनाबद्ध तरीके से बरेली बीसलपुर राज्यमार्ग पर नवदिया पेट्रोल पम्प के पास पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना की योजना की जानकारी के कारण मैं दिनांक 04.11.2024 को अपनी गाड़ी से घर से बागेश्वर धाम चला गया था और पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पाल की हत्या की जानकारी होने पर अगले दिन मैंने अपना मोबाइल बन्द कर दिया था। पुलिस मेरे घर पर दबिश दे रही थी इसलिये मैं चोरी छिपे अपने परिवार वालों को बुलाकर पहाड़ों पर जाने की प्लानिंग कर रहा था कि आज आपने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. ब्रजेश कुमार उर्फ बिरजू पुत्र लालताप्रसाद निवासी कस्बा व थाना भुता जिला बरेली उम्र 36 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 447/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/61(2)/351(3) बीएनएस

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार सिंह थाना भुता जिला बरेली
2. हे0का0 698 देवेन्द्र कुमार थाना भुता जिला बरेली
3. का0 2781 अमरवीर बंसल थाना भुता जिला बरेली
4. का0 22 जपसर थाना भुता जिला बरेली
5. का 1585 देवेन्द्र सिंह सोलंकी थाना भुता जिला बरेली।